-...भरोसे का प्रतीक !

रांजाब नैशनल बैंक 🕑 punjab national bank

...the name you can BANK upon !

प्र.का. प्लाट स.4, सेक्टर.10, द्वारका, नई दिल्ली—110075 Head Office : Plot No.4, Sector 10, Dwarka, New Delhi–110 075

असाधारण आम बैठक EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

दिनांक ः मंगलवार, 30 अक्टूबर, 2018, प्रात 10.00 ः बजे DATE: TUESDAY, 30[™] OCTOBER 2018 AT 10.00 A.M.

स्थान : पंजाब नैशनल बैंक मल्टीपर्पज हाल, प्रधान कार्यालय प्लॅाट स.4, सेक्टर.10, द्वारका, नई दिल्ली–110075 Venue :

PUNJAB NATIONAL BANK MULTIPURPOSE HALL, HEAD OFFICE PLOT NO.4, SECTOR 10, DWARKA, NEW DELHI–110 075

विषय वस्तु CONTENTS

पृष Page	छ सं. e No.
सूचना NOTICE	1 . 2
टिप्पणियाँ NOTES	3-7
व्याख्यात्मक कथन EXPLANATORY STATEMENT	7-8
प्रॉक्सी फार्म PROXY FORM	9
उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास ATTENDANCE SLIP CUM ENTRY PASS	11

कार्यक्रम की महत्वपूर्ण तिथियाँ

IMPORTANT CALENDER OR EVENTS

वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के भाग लेने⁄वोटिंग की पात्रता का पता लगाने के लिए कटऑफ तिथि	मंगलवार, 23 अक्टूबर, 2018
Cut-off date for ascertaining the entitlement of shareholders for attending the AGM	Tuesday, 23 rd October, 2018
ई—वोटिंग की अवधि Period of e-voting	27/10/2018 से 29/10/2018 27/10/2018 to 29/10/2018
प्रॉक्सी फार्मो व प्राधिकृत प्रतिनिधियों की नियुक्ति का संकल्प जमा करने की अंतिम तिथि	गुरुवार, 25 अक्टूबर, 2018
Last date for receipt of Proxy Forms and Resolutions appointing Authorized Representatives	Thursday , 25 th October, 2018

प्रधान कार्यालय : प्लाट संख्या 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली — 110075 (ई—मेलः hosd@pnb.co.in) सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि पंजाब नैशनल बैंक (शेयर और बैठक) विनियमन 2000 के विनियम 57 के अनुसार पंजाब नैशनल बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक मंगलवार , 30 अक्टूबर, 2018 को प्रातः 10.00 बजे पंजाब नैशनल बैंक, प्रधान कार्यालय, प्लाट संख्या 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली —110075 में संपन्न होगी जिसमें निम्नलिखित विशेष मदों पर विचार—विमर्श किया जायेगा :—

1. अधिमान आधार पर इक्विटी शेयरों का निर्गम

पंजाब नैशनल बैंक

निम्नलिखित संकल्पोंर पर विचार करना और उचित समझे जाने पर संशोधन सहित या संशोधन के बिना विशेष संकल्प के रुप में पारित करना :

'संकल्प किया जाता है कि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना,1970 (जिसे इसके बाद इस संकल्प में 'योजना' कहा जायेगा) और पंजाब नैशनल बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमन, 2000 (जिसे इसके बाद 'विनियमन' कहा जाएगा) के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 (जिसे इसके बाद इस संकल्प में 'अधिनियम' कहा जायेगा) प्रावधानों के अनुसरण में तथा यदि आवश्यक हुआ तो भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी)और / अथवा इस सम्बन्ध में अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकरण के अनुमोदन, सहमति और स्वीकृति के अधीन तथा निदेशक मंडल द्वारा व्यक्त की गई सहमति के अनुसार इस सम्बन्ध में किन्हीं शर्तों, निबन्धनों और संशोधनों के अधीन ऐसे अनुमोदन देने के लिए एवं सेबी (पूंजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन 2009 (सेबी आईसीडीआर विनियमन) सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 (सेबी एलओडीआर विनियमन) और भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य सभी संबध्द प्राधिकरणों द्वारा समय—समय पर निर्धारित विनियमों के अनुसार एवं जिन स्टॉक एक्सचेंजों में बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, उनके सूचीकरण करारों के अधीन बैंक के निदेशक मंडल को (जिसे इसके बाद इस संकल्प में 'निदेशक मंडल' कहा गया है, जिसके सम्बन्ध में वह नाना जायेगा कि उसमें ऐसी कोई समिति भी शामिल होगी जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए गठित की गई हो व गठित की जानी हो) बैंक के शेयरधारकों की सहमति प्रदान की जानी चाहिए और एतद्वारा ऐसी सहमति प्रदान की जाती है कि सेबी आईसीडीआर विनियमन के विनियम 76(1) के अनुरूप निर्धारित रु 82.98 प्रति शेयर प्रीमियम पर पुर्णतः चुकता अंकित मूल्य रु.2 / प्रत्येक के 63,90,91,550 इक्विटी शेयर, जिनकी कुल राशि रु.5431 करोड़ (रुपए पांच हजार चार सौ इकतीस करोड़ मात्र) होगी, अधिमानी आधार पर भारत सरकार के लिए सुजित, प्रस्ताव, जारी ए वंआवंटित करें।

''यह भी संकल्प किया जाता है ऊपर उल्लिखित इक्विटी शेयरों के जारीकरण के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारण हेतु सेबी (आईसीडीआर विनियम) समय—समय पर यथासंशोधित के अनुसार, अधिमान्य जारीकरण के लिए प्रासंगिक तिथि, असाधारण आम बैठक की तिथि से 30 दिन पहले की (29.09.2018 एवं 30.09.2018 को सप्ताहांत / अवकाश होने के कारण) तिथि 28.09.2018 होगी।''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि निर्गम, आबंटन तथा निदेशक मंडल की सहमति के अनुसार शेयरों के सूचीबद्ध करने के लिए अनुमोदन, सहमति, अनुमति और स्वीकृति प्रदान करते समय निदेशक मंडल को यह अधिकार होगा कि भारत सरकार / भारतीय रिजर्व बैंक / सेबी / जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, उस स्टॉक एक्सचेंज अथवा अन्यं उपयुक्त प्राधिकारण द्वारा अपेक्षित अथवा लगाये गये प्रस्तावों के संशोधनों को स्वीकार करें ।''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प के अनुसरण में अधिमान्यता आधार पर निर्गत एवं आबंटित किए जाने वाले उक्त इक्विटी शेयर डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में जारी किए जाएंगे और सेबी (आईसीडीआर) विनियम 2009 के अध्याय VII के प्रावधानों के अंतर्गत यथावश्यक लॉक—इन अपेक्षाओं के विषयाधीन होंगे और ऐसी घोषणा के समय लागू सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसरण में बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ सभी तरह से (घोषित लाभांश सहित, यदि कोई हो) सम मात्रा रैंक के होंगे।''

Head Office : Plot No. 4, Sector 10, Dwarka, New Delhi 110 075 (Email hosd@pnb.co.in)

बौंदाञ

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to Regulation 57 of Punjab National Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2000 that an Extraordinary General Meeting (EGM) of the Shareholders of PUNJAB NATIONAL BANK will be held on Tuesday, 30th October, 2018 at 10.00 A.M. at Multipurpose Hall of Punjab National Bank, Head Office, Plot No. 4, Sector 10, Dwarka, New Delhi 110 075 to transact the following Special business:

1. Issue of Equity Shares on preferential basis

पंजान नैशनल

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following Resolution(s) as Special Resolution(s):

RESOLUTIONS:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the 'Act') read with the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the 'Scheme') and Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 (hereinafter referred to as the `**Regulations**') and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (SEBI ICDR Regulations), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI LODR Regulations) and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called the "Board" which shall deemed to include a committee which the Board may have constituted or / may constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this resolution) to create, offer, issue and allot 63,90,91,550 Equity Shares of face value of Rs.2/each fully paid at a premium of Rs.82.98 per share determined in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations, amounting up to Rs. 5,431 crore (Rupees Five Thousand Four Hundred Thirty One Crore only) to Govt. of India on preferential basis.

"**RESOLVED FURTHER THAT** the **Relevant Date** for the preferential issue, as per the SEBI (ICDR Regulations), as amended from time to time, for the determination of minimum price for the issue of the above mentioned Equity Shares shall be 28.09.2018, being the date 30 days prior to the date of Extraordinary General Meeting. (29.09.2018 and 30.09.2018 being weekend/holdiay)

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI / Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed, or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"यह भी संकल्प किया जाता हैं कि इस संकल्पे को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बोर्ड को एतद्वारा यह प्राधिकार दिया जाता है कि ऐसे सभी कार्य, क्रियाएं, मामले और विचार करें जो अपने पूर्ण विवेक से आवश्यिक, उचित और अपेक्षित समझें जिनसे किसी प्रश्न, समस्या अथवा ऐसे संदेह का निराकरण हो सके जो इक्विटी शेयरों के निर्गम से संबंधित हो और साथ ही ऐसे सभी कार्य आदि करें, आवश्यक होने वाले सभी दस्तीविजों और विलेखों को अंतिम रूप दें और निष्पादित करें जो उनके पूर्ण विवेक के अनुसार उचित समझे जाने पर अपेक्षित अथवा आवश्यक, उचित एवं वांछित हो और ऐसा करने के लिए उन्हें शेयरधारकों की किसी अन्य सहमति की ज़रूरत नहीं होगी अथवा अंततः यह प्राधिकार दें कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा प्रकट रूप से उसके संबंध में अपना अनुमोदन दे दिया है।"

''यह भी संकल्प किया जाता हैं कि निदेशक मंडल को एतद्दवारा यह प्राधिकार दिया जाता है कि इस संकल्प में प्रदत्त सभी अथवा कोई एक शक्ति बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा कार्यपालक निदेशकों अथवा अन्य अधिकारी (अधिकारियों) को प्रत्यायोजित करें जो उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए वह उचित समझें ।''

> निदेशक मंडल के आदेश से कृते पंजाब नैशनल बैक

> > (पी.के.शर्मा) मुख्य वित्त अधिकारी

स्थान : नई दिल्ली

दिनाक : 28.09.2018

"RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued and allotted on preferential basis in pursuance of this Resolution shall be issued in dematerialized form and shall be subject to lock-in requirements as required under Chapter VII of the "SEBI ICDR Regulations" 2009, and shall rank *pari passu* in all respects (including dividend declared, if any) with the existing equity shares of the Bank in accordance with the statutory guidelines/regulations / notifications / clarifications that are in force at the time of such declaration issued by SEBI in this regard"

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution"

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director and CEO or Executive Directors or Chief Finance Officer (CFO) or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

By order of the Board of Directors For Punjab National Bank

> (P K Sharma) Chief Finance Officer

Place: New Delhi

Date: 28.09.2018

टिप्पणियाँ :

- बैंक ने नोटिस प्रेषित करने हेतु कटऑफ तिथि दिनाक 21.09.2018 निर्धारित की है ।
- उपर्युक्त बैठक के अलग–अलग नोटिस जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ प्रॉक्सी फार्म तथा उपस्थिति पर्ची व प्रवेश पत्र आदि होंगे जिन्हें बैंक की वेबसाइट <u>www.pnbindia.in</u> (निवेशक सूचना परिशिष्ट) से डाउनलोड भी किया जा सकता है ।
- सूचना में दी गयी कार्यसूची से संबंधित व्याख्यात्मक कथन इसके साथ संलग्न है ।

प्राक्सी की नियुक्तिः

बैठक में उपस्थित होने और वोट देने के पात्र शेयरधारक अपने बदले किसी प्रॉक्सी की बैठक में उपस्थित होने और वोट देने के लिए नियुक्त करने का भी पात्र है तथा उस प्रॉक्सी के लिए बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है । प्रोक्सी फार्म / प्राधिकृत प्रतिनिधि पत्र प्रभावी करने के लिए उसे **कम्पनी सचिव, शेयर विभाग, वित्त प्रभाग, प्रधान कार्यालय, प्लाट संख्या 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली – 110075** में बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पहले अर्थात गुरुवार, 25 अक्टूबर, 2018 की समाप्ति अर्थात सांय 5.00 बजे से पहले अवश्य जमा करा दी जाए। इस तरह से नियुक्त प्राक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा किंतु वह ग्रांटर की ओर से बैठक में भाग ले सकता है एवं वोट दे सकता है। बैंक के किसी अधिकारी या कर्मचारी को प्राक्सी नियुक्त नहीं किया जा सकता ।

5. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्तिः

ब

कोई भी ऐसा व्यक्ति, किसी निगमित निकाय के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में, तब तक बैंक की बैठक में उपस्थित होने या मत देने का पात्र नहीं होगा, जब तक उस बैठक , जिसमें यह संकल्प पारित किया गया है, के अध्यक्ष द्वारा विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसे नियुक्त करने वाले संकल्प की सत्यप्रति **कम्पनी सचिव, शेयर विभाग, वित्त प्रभाग, प्रधान कार्यालय, प्लाट संख्या 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली — 110075** में, बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पहले अर्थात गुरुवार, 25 अक्टूबर, 2018 की समाप्ति अर्थात साय 5.00 बजे से पहले अवश्य जमा करा दी जाए। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बैंक का कर्मचारी या अधिकारी है, प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता ।

ठपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास :

वैध उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास एवं उचीत पहचान के आधार पर ही बैठक स्थल पर प्रवेश दिया जायेगा। शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची—सह—प्रवेश पास इस सूचना के साथ संलग्न है। शेयरधारकों / प्रॉक्सी धारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास में उचित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें व वार्षिक आम बैठक स्थल पर इसे सुपुर्द करें। शेयरधारकों के प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास में "प्राक्सी" या "प्राधिकृत प्रतिनिधि" जैसा भी मामला हो, का उल्लेख करें।

7. शेयरधारक कृपया नोट करे कि बैठक स्थल पर कोई उपहार / उपहार कूपन नहीं बांटे जाएंगे ।

8.वोटिंग अधिकारः

- क. एजेंडा मदों के लिए वोट देने हेतु शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए कटऑफ 23.10.2018 निर्धारित की है। पंजाब नैशनल बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 2000 के विनियम 68 के अनुसार ऐसा प्रत्येक शेयरधारक जिसे कट—ऑफ तिथि अर्थात् 23.10.2018 को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है, उसे अपने द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट देने का अधिकारी होगा।
- ख. कोई व्यक्ति जिसका नाम केवल कट—ऑफ की तारीख तक सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा मेंटेन किए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज किया गया हो को, ईजीएम में रिमोट ई—वोटिंग या इन्स्टा पोल सुविधा, जैसा भी मामला हो, का लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा।
- ग. सदस्य जिसने बैठक से पहले रिमोट ई वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दे दिया है, वह बैठक में भाग ले सकता है किन्तु दुबारा वोट नहीं कर सकेगा ।

NOTES:

- 1. The Bank has fixed 21.09.2018 as the cut-off date for dispatch of notice.
- 2. Detailed notices of the aforesaid meeting containing, inter-alia, formats of, Proxy form and Attendance Slip cum Entry Pass etc are also available for downloading from the website of the Bank viz. www.pnbindia.in (Investors' Info Page).
- 3. The relevant explanatory Statement in respect of agenda is annexed hereto.

4. APPOINTMENT OF PROXY

A shareholder entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/herself and such proxy need not be a shareholder of the Bank. The Proxy Form/ Authorized Representative Letter, in order to be effective, must be received by the Bank addressed to the **Company Secretary**, **Punjab National Bank**, **Share Department**, **Finance Division**, **Head Office**, **Plot No. 4**, **Sector 10**, **Dwarka**, **New Delhi 110 075**, not later than four days before the date of the meeting i.e. on or before the closing hours i.e 5.00 p.m. on Thursday, 25th October, 2018. The proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting but such proxy can attend & vote on behalf of the grantor. No person shall be appointed as a Proxy who is an officer or an employee of the Bank

5. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the EGM as a duly authorized representative of any body-corporate, which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank to the **Company Secretary, Punjab National Bank, Share Department, Finance Division, Head Office, Plot No. 4, Sector 10, Dwarka, New Delhi 110 075**, not later than four days before the date of the meeting i.e. on or before the closing hours i.e 5.00 p.m. on Thursday, 25th October, 2018. No person shall be appointed as a Proxy who is an officer or an employee of the Bank

6. ATTENDANCE SLIP - CUM - ENTRY PASS - Entry to the venue will be permitted only on the basis of valid attendance slip cum entry pass with proper identification. For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass is annexed to this Notice. Shareholders/Proxy holders / Authorized Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue of the meeting. Proxy/ Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be.

7. Shareholders may kindly note that no gifts / gift coupon will be distributed at the meeting.

8. VOTING RIGHTS

- a. The cut-off date for determining the eligibility of shareholders to exercise voting for Agenda item is 23.10.2018. As per Regulation 68 of Punjab National Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2000, each shareholder who has been registered as a shareholder on the Cut-off Date as determined by the Bank i.e. 23.10.2018 shall have one vote for each share held by him/her.
- b. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or the insta poll facility at the EGM, as the case may be.
- c. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.

- घ. सदस्यों का मतदान अधिकार कट ऑफ तिथि तक कंपनी की पेड—अप इक्विटी शेयर पूंजी के उनके शेयर के अनुपात में होगा।
- . बैंकिंग कंपनियों (उपक्रम का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 (यथा संशोधित) की धारा 3 की उपधारा (2ई) के अनुसार केन्द्रीय सरकार के अलाव बैंक का कोई भी शेयरधारक अपने पास धारित शेयरों के संबंध में बैंक के कुल शेयरधारकों के 10: से अधिक के अपने शेयरों के वोटिंग अधिकार का उपयोग नहीं कर सकता ∕ सकती है ।
- च. विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम है, तो रजिस्टर में दर्ज पहला नामित व्यक्ति, मतदान के संबंध में, उसका एकमात्र धारक माना जाएगा।

9. ई वोटिंग के माध्यम से मतदान की प्रक्रियाः

कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 के साथ कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) संशोधन नियम 2015 के तहत शेयरधारक बैठक में उपस्थित होने तथा वोट देने का पात्र है और वे अपने वोट का प्रयोग इलैक्ट्रानिक साधन के द्वारा दे सकते हैं।

नोटिस में दिए गए व्यवसाय को इलैक्ट्रानिक वोटिंग प्रणाली के द्वारा निष्पादित किया जायेगा तथा इलैक्ट्रानिक माध्यमों से वोटिंग की सुविधा कम्पनी उपलब्ध करा रही है।

10. मतदान प्रक्रिया

इलैक्ट्रानिक माध्यमों द्वारा मतदान

- i) सेबी (सूचीकरण अपेक्षायें एवं प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियमन 2015 के विनियम 44, स्टाक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार के अनुसरण में और कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियमावली 2015 के नियम 20 के प्रावधानों की अनुपालना में बैंक शेयरधारकों को आगामी ईजीएम में विचारणीय सकल्पों पर इलैक्ट्रानिक माध्यमों द्वारा मतदान करने की सुविधा दे रहा है और यह कार्यनिष्पादन सैंट्रल डिपाजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) द्वारा उपलब्ध कराए गए ई—वोटिंग प्लेटफार्म के माध्यम से दिया जा रहा है । सदस्य अपना वोट इलैक्ट्रानिक वोटिंग सिस्टम का प्रयोग करके बैठक स्थल के अलावा अन्य स्थान से (रिमोट ई वोटिंग) भी कर सकते हैं।
- ii) वह सदस्य जिसने रिमोट ई वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं किया है वह अपना वोट सीडीएसएल द्वारा उपलब्ध कराए गए(इंस्टा पोल)
 टैबलेट आधारित इलैक्ट्रानिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से बैठक स्थल पर कर सकता है। हस्ताक्षर के साथ डीपीआईडी / ग्राहक आईडी
 या फोलियों संख्या के सत्यापन के बाद ई—वोट कुंजी बैठक स्थल पर शेयरधारकों के पंजीकरण के समय जारी की जाएगी।

iii) रिमोट ई वोटिंग के लिए निर्देश निम्नवत है :--

- i. रिमोट ई वोटिंग की अवधि 27.10.2018 (प्रातः 9.00 बजे) शुरू होगी और 29.10.2018 (साय 5.00 बजे) तक समाप्त हो जाएगी । इस अवधि में कट आफ तिथि (रिकार्ड तिथि) 23.10.2018 के अनुसार बैंक के शेयरधारक चाहे वह भौतिक रूप में शेयरधारित करते हो या डिमेटेरियालाइज्ड रूप में, वे इलेक्ट्रानिक माध्यम से अपना वोट दे सकते हैं। ई वोटिंग के बाद सीडीएसएल द्वारा ई—वोटिंग माडयूल हटा दिया जाएगा। शेयरधारक द्वारा संकल्प पर एक बार वोट करने बाद उसे इसे परिवर्तित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- ii. शेयरधारक को ई—वोटिंग के लिए वैबसाईट<u>www.evotingindia.com</u> पर लॉगिन करना चाहिए ।
- iii. Shareholders/Members पर क्लिक करें ।
- iv. अब अपनी यूजर आईडी प्रविष्ट करें ।
 - क) सीडीएसएल के लिए : 16 अंकों की लाभार्थी आईडी
 - ख) एनएसडीएल के लिए : 8 अंकों की ग्राहक आईडी द्वारा अनुपालित 8 अक्षरों की डीपीआईडी ।

- d. The voting rights of Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date.
- e. In terms of provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (as amended) no shareholder of the Bank other than Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of the shares held by him in excess of 10% of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.
- f. As per Regulation 10, if any share stands in the name of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.

9. Exercise Of Voting Rights Through E-Voting

In terms of Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, shareholders entitled to attend and vote at the meeting, can exercise their voting rights through electronic means.

The business set out in the Notice will be transacted through electronic voting system and the Company is providing facility for voting by electronic means.

10. Voting Process

Voting Through Electronic Means

- I. Pursuant to Regulation 44 of the SEBI (listing obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Listing agreement with Stock Exchanges, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, the Bank is pleased to provide its shareholders facility to exercise their right to vote on resolution proposed to be considered at the EGM by electronic means through e-voting platform provided by the Central Depository Services (India) Limited (CDSL). The members may cast their votes using an electronic system from a place other than the venue of the meeting ('remote e-voting')
- II. The members who have not cast vote through remote e-voting, facility through tablet based electronic voting system (Ínsta Poll') shall be made available at the venue of the Meeting through 'Insta Poll' by CDSL. After verification of DPID/Client ID or Folio No. along with signatures the e-vote key will be issued at the time of registration to shareholders at the venue of the meeting.

III. The instructions for remote e-voting are as under:-

- (i) The remote e-voting period begins on 27.10.2018 (9.00 a.m.) and ends on 29.10.2018 (5.00 p.m.). During this period shareholders' of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date (record date) of 23.10.2018 may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.
- (ii) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.
- (iii) Click on "Shareholders / Members"
- (iv) Now Enter your User ID
 - a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,

- ग) भौतिक रूप में शेयरधारिता करने वाले सदस्यों को कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो नंबर दर्ज करना चाहिए ।
- v. प्रदर्शित इमेज सत्यापन दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें ।
- vi. यदि आप डीमैट रूप में शेयर धारित करते हैं और <u>www.evotingindia.com</u> पर लॉगिन किया है और किसी कंपनी के लिए पूर्व में वोटिंग किया है, तब मौजूदा पासवर्ड उपयोग में लाएं ।
- vii. यदि आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो नीचे दिए गए चरणों की अनुपालना करें :

	डिमैट और भौतिक रूप में शेयरधारण करने वाले सदस्यों के लिए
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया 10 अंकों का अपना एल्फा न्यूमेरिक पैन दर्ज करें (डीमैट एवं भौतिक दोनों शेयरधारको के लिए लागू)
	 सदस्य जिन्होंने कंपनी / डिपाजिटरी सहभागी के साथ / अपना पैन अद्यतन नहीं किया है, से अनुरोध है कि पैन फील्ड में अपने नाम के पहले दो अक्षरों और क्रम संख्या के आठ अंकों का उपयोग करें ।
	 यदि क्रम संख्या 8 अंकों से कम है तो कैपिटल लैटर्स में नाम के पहले दो अक्षरों के बाद लागू संख्या 0 दर्ज करें । उदाहरणस्वरूपः यदि क्रम संख्या 1 के साथ आपका नाम रमेश कुमार है तो पैन फील्ड में RA00000001 दर्ज करें ।
लाभांश बैंक ब्यौरा या जन्म तिथि (डीओबी)	लॉगिन करने के लिए अपने डीमैट खाते या कंपनी रिकार्ड में दर्ज लाभांश बैंक विवरण या जन्म तिथि (दिन / माह / वर्ष प्रारूप) में दर्ज करें । • यदि दोनों ब्यौरा डिपॉजिटरी या आरटीए के साथ दर्ज नहीं है, तो कृपया लाभांश बैंक विवरण फील्ड में उपर्यक्त मद संख्या (पअ) के अनुसार सदस्य आईडी / फोलियो संख्या दर्ज करें ।

- viii. इन ब्यौरों को उचित प्रकार से दर्ज करने के बाद, "SUBMIT" टैब पर क्लिक करें ।
- ix. भौतिक रूप में शेयरधारण करने वाले सदस्य सीधे कम्पनी सैलेक्शन स्क्रीन पर जायेंगे। तथापि डीमैट रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य पासवर्ड क्रिएशन विकल्प में जाएंगें जिसमें उनसे नए पासवर्ड फील्ड में अपना लॉगिन पासवर्ड अनिवार्य रूप से दर्ज करना अपेक्षित है। कृपया नोट करें कि इस पासवर्ड का उपयोग किसी अन्य कंपनी के संकल्पों पर वोटिंग हेतु डीमैट धारकों द्वारा किया जाना है, जिस पर वे वोटिंग के लिए पात्र है बशर्ते कंपनी सीडीएसएल प्लेटफार्म के माध्यम से ई—वोटिंग चुनें यह दृढ़तापूर्वक सुझाव दिया जाता है कि किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ अपना पासवर्ड साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने में सावधानी बरतें।
- x. भौतिक रूप मे शेयरधारण करने वाले सदस्यों के लिए, ब्यौरे का उपयोग इस नोटिस में दिए गए संकल्प पर ई—वोटिंग के लिए ही किया जा सकता है ।
- xi. पंजाब नैशनल बैंक के लिए "EVSN" पर क्लिक करें जिस पर वोट करने के लिए चुना है।
- xii. वोटिंग पेज पर, आपको "RESOLUTION DESCRIPTION दिखेगा और इसके विपरीत वोटिंग के लिए "YES/NO" विकल्प दिखेगा । ऐच्छिक विकल्प "YES/NO" चुनें । "YES" विकल्प का तात्पर्य है आप संकल्प के समर्थन में है और विकल्प NO का तात्पर्य है कि आप संकल्प के विरूद्ध है ।
- xiii. यदि आप संपूर्ण संकल्प ब्यौरा देखना चाहते हैं तो ''त्मैव्रन्ज्य्छ थ्य्स्म स्प्छज्ञ'' पर क्लिक करें ।
- xiv. संकल्प चयन के पश्चात् अगर आपने उस पर वोट करने का निर्णय लिया तो "SUBMIT" पर क्लिक करें। पुष्टि बाक्स प्रदर्शित होगा । यदि आप अपना वोट सुनिश्चित करना चाहते हैं तो "OK" पर क्लिक करें लेकिन वोट बदलने के लिए "CANCEL" पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट बदलें ।

- b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
- c. Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Company.
- (v) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
- (vi) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company, then your existing password is to be used.
- (vii) If you are a first time user follow the steps given below:

	For Members holding shares in Demat Form and Physical Form
PAN	 Enter your 10 digit alpha-numeric PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) Members who have not updated their PAN with the RTA/Depository Participant are requested to use the first two letters of their name and the 8 digits of the sequence number in the PAN field. In case the sequence number is less than 8 digits enter the applicable number of 0's before the number after the first two characters of the name in CAPITAL letters. Eg. If your name is Ramesh Kumar with sequence number 1 then enter RA00000001 in the PAN field.
Dividend Bank Details OR Date of Birth (DOB)	 Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the company records in order to login. If both the details are not recorded with the depository or RTA please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (iv).

(viii)After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.

- (ix) Members holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- (x) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.
- (xi) Click on the EVSN of Punjab National Bank on which you choose to vote.
- (xii) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.

(xiii)Click on the "RESOLUTION FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.

(xiv)After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.

- xv. एक बार आपने संकल्प पर अपना वोट "CONFIRM" कर दिया तो आपको अपना वोट बदलने की अनुमति नहीं होगी ।
- xvi. आप वोटिंग पेज पर "Click here to print" विकल्प पर क्लिक करके स्वयं द्वारा की गयी वोटिंग का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं ।
- xvii. यदि डीमैट खाताधारक परिवर्तित पासवर्ड भूल गया हो तब यूजर आईडी और इमेज सत्यापन कोड दर्ज करें और "FORGOT PASSWORD" पर क्लिक करें और सिस्टम द्वारा माँगा गया ब्यौरा दर्ज करें । रिमोट ई वोटिंग के लिए अधिकारी का संपर्क ब्यौरा निम्नवत

है :—

नाम : श्री राकेश दल्वी

पदनामः प्रबन्धक

- पता : ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचर्स, मफतलाल मिल कम्पाउंड, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (ईस्ट), मुंबई – 400013
- ई--मेल : helpdesk-evoting@cdslindia-com
- दूरभाषः 1800225533
- xviii. शेयरधारक एंड्रॉइड आधारित मोबाइल फोन के लिए उपलब्ध सीडीएसएल के मोबाइल ऐप एम—वोटिंग का उपयोग करके भी वोट दे सकते हैं। एम—वोटिंग ऐप "Google Play Store" से डाउनलोड किया जा सकता है। ऐप्पल और विंडोज फोन प्रयोक्ता इसे ऐप स्टोर और विंडोज फोन स्टोर से क्रमशः डाउनलोड कर सकते हैं। अपने मोबाइल पर मतदान करते समय कृपया मोबाइल ऐप पर प्रदर्शित निर्देशों का पालन करें।
- xix. गैर—वैयक्तिक शेयरधारकों एवं कस्टोडियन्स के लिए नोट :
 - गैर–वैयक्तिक शेयरधारक (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि से भिन्न) और कस्टोडियन से अपेक्षित है कि <u>www.evotingindia.com</u> पर लॉगिन करें और स्वयं को कॉर्पोरेट के रूप में पंजीकृत करें ।
 - उपक्रम के स्टाम्प और हस्ताक्षर सहित पंजीकरण फार्म की स्कैन कापी <u>helpdesk.evoting@cdslindia.com</u> को मेल करना चाहिए ।
 - लॉगिन ब्यौरा प्राप्त होने के बाद एडमिन लॉगिन और पासवर्ड का उपयोग कर कम्प्लाएस यूजर सृजित करे। कम्प्लाएस यूजर खाता (तों) जिसके लिए वे वोट करने के इच्छूक हैं को लिंक करने में सक्षम होगा ।
 - खातों की सूची <u>helpdesk.evoting@cdslindia.com</u> को मेल की जानी चाहिए और खातों के अनुमोदन पर वे अपना वोट देने के लिए सक्षम होंगें ।
 - उन्हें बोर्ड संकल्प और पावर आफ एटार्नी (पीओए) की स्कैन प्रति यदि कोई है, अपलोड करनी चाहिए जिसे उन्होंने कस्टोडियन के पक्ष में जारी किया है, इसे सत्यापित करने के लिए संवीक्षक हेतु सिस्टम में पीडीएफ प्रारूप में अपलोड किया जाना चाहिए ।

ई—वोटिंग से संबंधित किसी पूछताछ या मामले के लिए, आप अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) और help section के अंतर्गत www.evotingindia.com पर उपलब्ध ई—वोटिंग मैनुअल देख सकते हैं या <u>helpdesk.evoting@cdslindia.com</u> पर मेल लिख सकते हैं ।

- iv) कोई व्यक्ति जिसने ईजीएम नोटिस डिस्पेच होने के बाद कम्पनी के शेयर अर्जित किए है और कम्पनी का सदस्य बना है तथा कट ऑफ तिथि अर्थात 23.10.2018 को शेयर धारित करता है वह उपरोक्त वर्णित ई—वोटिंग के लिए दी गयी प्रक्रिया का पालन करें।
- w) आप फॉलियो के यूजर प्रोफाइल में अपना मोबाइल न और ई—मेल आईडी भी अद्यतन कर सकते है, जिसका उपयोग भविष्य मे किये जाने वाले पत्राचारों के लिए किया जा सकता है।
- vi) आशु गुप्ता एंड कंपनी (ई—मेल आईडी agc.scrutinizer@gmail.com) में कार्यरत कंपनी सचिव सुश्री आशु गुप्ता(सदस्यता सं. एफ 4123, सीपी नं. 6646) को बैंक द्वारा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई वोटिंग प्रक्रिया की संवीक्षा करने के लिए संवीक्षक के रुप में नियुक्त किया गया है ।
- vii) अध्यक्ष द्वारा उन सदस्यों को जो असाधारण आम बैठक मे उपस्थित है लेकिन रिमोट ई—वोटिंग सुविधा प्राप्त कर अपना वोट नही किया है उन्हें संकल्पो पर परिचर्चा की समाप्ति पर असाधारण आम बैठक में टैबलेट आधारित इन्स्टा पोल के माध्यम से वोट करने की अनुमति दी

(xv)Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

(xvi)You can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.

(xvii)If a demat account holder has forgotten the changed password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system. The Contact details of official for remote e-voting are as follows:

Name: Mr. Rakesh Dalvi Designation: Manager Address: A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai – 400013. Email id:helpdesk.evoting@cdslindia.com Phone number: 1800225533

(xviii)Shareholders can also cast their vote using CDSL's mobile app m-Voting available for android based mobiles. The m-Voting app can be downloaded from Google Play Store. Apple and Windows phone users can download the app from the App Store and the Windows Phone Store respectively. Please follow the instructions as prompted by the mobile app while voting on your mobile.

(xix)Note for Non – Individual Shareholders and Custodians

- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to <u>www.evotingindia.com</u> and register themselves as Corporates.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to <u>helpdesk.evoting@cdslindia.com</u>.
- After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts linked in the login should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at <u>www.evotingindia.com</u>, under help section or write an email to <u>helpdesk.evoting@cdslindia.com</u>.

- IV. Any person who acquires the shares of the company and become member of the company, after dispatch of the notice of EGM and holding shares as on cut-off date i.e. 23.10.2018 should follow the same procedure for e-voting as mentioned above.
- V. He/ She should also update his/her mobile number and e-mail id in the user profile details of the folio which may be used for sending future communication(s).
- VI. Ms. Ashu Gupta, Practising Company Secretary (Membership No. F4123, CP No. 6646) of M/s Ashu Gupta & Co. (email ID – <u>agc.scrutinizer@gmail.com</u>) has been appointed as the Scrutinizer by the Bank to scrutinize the remote e-voting process as well as electronic voting process in a fair and transparent manner.

VII. The Chairman shall, at the Extra ordinary general meeting, at the end of discussion on the resolutions on which voting is to be held, allow voting through tablet based Insta Poll', for all those members who are present at the EGM but have not cast their votes by availing the remote e-voting facility.

जाएगी ।

- viii) संवीक्षक, आम बैठक के दौरान हुई वोटिंग के तुरंत बाद डाले गए वोटों की गिनती करेगा तत्पश्चात् दो (2) साक्ष्यों की उपस्थिति में जो बैंक के कर्मचारी न हों, वोट अनब्लॉक करेगा और बैठक के अध्यक्ष को या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को पक्ष या विपक्ष में डाले गये वोट की यदि कोई हो, लिखित रिपोर्ट ईजीएम की समाप्ति के 48 घंटों के अन्दर प्रस्तुत करेगा तथा अध्यक्ष या उनके द्वारा लिखित में प्राधिकृत एक व्यक्ति, प्रतिहस्ताक्षर करेगा । अध्यक्ष या प्राधिकत व्यक्ति वोटिंग के परिणामों की घोषणा करेगा ।
- ix) अध्यक्ष या उनके द्वारा लिखित प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा वोटिंग के परिणामों की घोषणा के तत्काल बाद संवीक्षक रिपोर्ट के साथ परिणामों की घोषणा, बैंक की वेबसाइट www.pnbindia.in पर एवं सीडीएसएल की वेबसाइट पर कर दि जायेगी एवं स्टॉक एक्सचेंज को सूचित कर दिया जाएगा ।

व्याख्यात्मक कथन

सेबी (आईसीडीआर) विनियमन 2009 के अध्यधीन व्याख्यात्मक कथन एवं प्रकटीकरण निम्नवत है—

1. अधिमान आधार पर भारत सरकार को इक्विटी शेयरों का निर्गम

क. अधिमान निर्गम के उद्देश्य – सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की पूंजी सुदृढ़ करने की पहल में भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में अपनी धारिता बढ़ाने का निर्णय लिया है ।

तदनुसार भारत सरकार ने अपने पक्ष में इक्विटी के अधिमानी आवंटन के माध्यम से पंजाब नैशनल बैंक में 5,431 करोड़ रुपये (पांच हजार चार सौ इकत्तीस करोड़ रुपये मात्र) बढाने का निर्णय लिया है।

इसलिए सेबी आईसीडीआर विनियमनों के विनियमन 76(प) के अनुसार निर्धारित रु. 82.98 के प्रीमियम पर रुपये 5,431 करोड़ तक की कुल राशि के रु. 2 / – अंकित मूल्य के 63,90,91,550 इक्विटी शेयरों को नकद आधार पर भारत सरकार के पक्ष में सेबी दिशा—निर्देशों के अनुसार इक्विटी शेयरों के अधिमान निर्गम करने हेतु शेयरधारकों से अनुमोदन माँगा जाता है।

- ख. यह संपूर्ण अधिमान निर्गम भारत सरकार बैंक के प्रवर्तक द्वारा सब्सक्राइब किया जायेगा। इक्विटी शेयरों के जारीकरण के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारण हेतु सेबी (आईसीडीआर विनियम) समय–समय पर यथासंशोधित के अनुसार, अधिमान्य जारीकरण के लिए प्रासंगिक तिथि, असाधारण आम बैठक की तिथि से 30 दिन पहले की (29.09.2018 एवम 30.09.2018 को सप्ताहात / अवकाश होने के कारण) तिथि 28.09. 2018 होगी।
- ग. शेयरों के जारी करने से पूर्व और पश्चात् शेयरधारिता का स्वरूप निम्नवत् होगा :--

क्रम सं.	वर्ग	निर्गम से पहले		निर्गम के पश्चात्		
		धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता प्रतिशत	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता प्रतिशत	
अ	प्रवर्तक की धारिता (भारत सरकार)	203,14,38,364	66.09	267,05,29,914	71.93	
ब	गैर— प्रवर्तक धारिता	104,21,28,082	33.91	104,21,28,082	28.07	
	कुल	307,35,66,446	100.00	371,26,57,996	100.00	

बैंक का सेबी आईसीडीआर विनियमनों में यथा निर्दिष्ट निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्गम प्रक्रिया पूरा करने का प्रयास है ।

चूँकि सम्पूर्ण निर्गम भारत सरकार, प्रमुख शेयरधारक और बैंक के प्रवर्तक को अधिमान आधार पर आबंटित किया जाना प्रस्तावित है, अतः नियंत्रण में कोई बदलाव नहीं होगा ।

- VIII. The Scrutinizer shall after the conclusion of voting at the meeting, will first count the votes cast at the meeting and thereafter unblock the votes cast through remote e-voting in the presence of at least two witnesses not in employment of the Bank. The Scrutinizer shall submit a consolidated Scrutinizer's Report on the votes cast to the Chairman of the meeting not later than forty eight hours of the conclusion of the EGM and the Chairman or a person authorised by him/her in writing, who shall countersign the same. The Chairman or the authorised person shall declare the result of the voting forthwith.
- IX. The Results along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Bank's website <u>www.pnbindia.in</u> and on the website of CDSL immediately after declaration of result by the Chairman or a person authorized by him/her in writing and communicated to the Stock Exchanges also.

EXPLANATORY STATEMENT Explanatory Statement and Disclosure in terms of SEBI (ICDR) Regulations 2009 is as follows:

1. Issue of Equity Shares on preferential basis to GOI

a) Objects of the Preferential Issue - In an initiative to strengthen the capital adequacy of the Public Sector Banks (PSBs), the Government of India decided to raise its holding in these Banks.

Accordingly Gol has decided to infuse a sum of Rs. 5,431 crore (Rupees Five Thousand Four Hundred Thirty One crores) in Punjab National Bank by way of preferential allotment of equity in favour of Government of India.

Shareholder approval is therefore sought for issue of 63,90,91,550 Equity Shares of **Rs** 2/- each fully paid for cash at a premium of Rs.82.98 determined in accordance with Regulation 76(1) of SEBI (ICDR) Regulations, up to an amount of Rs. 5,431 crores, through preferential issue of equity shares in favour of the GoI, as per SEBI guidelines,.

b) The entire preferential issue will be subscribed by the Gol – the promoter of the Bank. The **relevant date** for the preferential issue, as per the SEBI (ICDR Regulations), as amended from time to time, for the determination of price for the issue of the above mentioned Equity Shares shall be 28.09.2018 being the date 30 days prior to the date of Extraordinary General Meeting.(29.09.2018 and 30.09.2018 being a weekend/holiday)

SI. No.	Category	Before the Issue		After the Issue		
		No. of shares held	Percentage shareholding	No. of shares held	Percentage shareholding	
A	Promoter's Holding(Gol)	203,14,38,364	66.09	267,05,29,914	71.93	
В	Non – Promoter Holding	104,21,28,082	33.91	104,21,28,082	28.07	
	Total	307,35,66,446	100.00	371,26,57,996	100.00	

c) Shareholding pattern before and after the issue:

The Bank endeavors to complete the issue process within the prescribed time lines as indicated in SEBI ICDR Regulations.

As the entire issue is proposed to be allotted to Government of India, the major shareholder and Promoter of the Bank, on preferential basis, there would not be any change in control.

घ. भारत सरकार की पूर्व और पश्चात् निर्गम शेयरधारिता निम्नवत् होगी :--

	शेयरों की संख्या	पूंजी का अनुपात
निर्गम पूर्व	203,14,38,364	66.09:
निर्गम–पश्चात्	267,05,29,914	71.93:

- च. बैंक के इक्विटी शेयरों का सूचीयन छः माह से अधिक समय पहले हो चुका है और तदनुसार सेबी आईसीडीआर विनियमनों, 2009 के विनियम 76(3) और 78(5) तथा सेबी आईसीडीआर विनियमन 2009 के विनियम 73(1) (एफ) और (जी) के प्रावधान लागू नहीं हैं ।
- छ. जारी किये जाने वाले और भारत सरकार को आबंटित किये जाने वाले सभी इक्विटी शेयर आबंटन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए अवरुध्द होंगे । आवंटिती (अर्थात भारत सरकार) की सम्पूर्ण पूर्व अधिमान्य आबंटित शेयरधारिता व्यापार अनुमोदन की प्रासंगिक तिथि से छह माह की अवधि तक अवरुध्द रहेंगी ।

ज. सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र कि निर्गम इन विनियमों की अपेक्षानुसार जारी किया जा रहा है, बैठक में पटल पर रखा जायेगा ।

- झ. भारत सरकार द्वारा धारित सभी इक्विटी शेयर डीमेट रूप में हैं और स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबध्द हैं, के साथ सूचीयन करार में विनिर्दिष्टानुसार इक्विटी शेयरों को लगातार सूचीबध्द करने की शर्त का अनुपालन बैंक करता है ।
- ट. भारत सरकार के पक्ष में इक्विटी शेयरों का जारीकरण किसी संशोधन सहित इसके लिए उस समय लागू सेबी (आईसीडीआर) विनियमन, 2009 के विषयाधीन होंगे ।
- ठ. बैंक यह वचन देता है कि जारीकर्ता इन नियमों के प्रावधान के अनुसार विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के मूल्य की फिर से गणना करेगा, जहां ऐसा करने की आवश्यकता है।
- ड. बैंक यह वचन देता है कि यदि इन नियमों में निर्धारित समय के भीतर कीमत का पुनः अभिकलन करने पर देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो आबंटियों द्वारा रकम की अदायगी तक विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों को लॉक—इन रखा जाएगा ।
- ढ. भारत सरकार द्वारा प्रासंगिक तिथि से पूर्व छह माह के दौरान बेंक के किसी भी इक्विटी शेयर की बिक्री नहीं की गई है।
- ण. सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और सेबी आईसीडीआर विनियम 2009 के विनियमन 72 के अनुसार, अधिमान्य आधार पर शेयर जारी और आवंटित करने के लिए विशेष प्रस्ताव के माध्यम से बैंक के शेयरधारकों का अनुमोदन आवश्यक है ।
- त. आपके निदेशकों ने नोटिस में उल्लिखित विशेष संकल्पों को पास करने की संस्तुति की है ।
- थ. बैंक के किसी भी निदेशक का बैंक में उनकी मौजूदा शेयरधारिता यदि कोई हो, को छोडकर संकल्प से कोई संबंध या हित नहीं है ।

निदेशक मंडल के आदेश से कृते पंजाब नैशनल बैंक

> (पी.के.शर्मा) मुख्य वित्त अधिकारी

d)The Pre and Post issue shareholding of the Government of India would be as under:

	Number of Shares	Percentage to Capital
Pre-issue	203,14,38,364	66.09%
Post–issue	267,05,29,914	71.93%

- e) The equity shares of the Bank have been listed for more than six months and accordingly, provisions of Regulation 76 (3) and 78 (5) of SEBI ICDR Regulations and the disclosures under Regulation 73 (1) (f) & (g) of SEBI ICDR Regulations, 2009 are not applicable.
- f) All the equity shares to be issued and allotted to the Gol shall be locked in for a period of three years from the date of trading approval. The entire pre-preferential allotment shareholding of the allotee (i.e Gol), shall be locked-in from the relevant date upto a period of six months from the date of trading approval.
- g) The Certificate issued by the Statutory Central Auditor certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations will be tabled at the Meeting.
- h) All the equity shares held by the Gol are in dematerialized mode and the Bank has complied with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed.
- i) The issuance of equity shares in favour of Gol shall be subject to SEBI (ICDR) Regulations, 2009 as may be applicable at the relevant time including any amendments thereof.
- j) The Bank undertakes that that the issuer shall re-compute the price of the specified securities in terms of the provision of these regulations where it is required to do so.
- k) The Bank undertakes that if the amount payable on account of the re-computation of price is not paid within the time stipulated in these regulations, the specified securities shall continue to be locked- in till the time such amount is paid by the allottee.
- I) The Government of India has not sold any equity shares of the Bank during the six months preceding the relevant date.
- m) In terms of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in terms of Regulation 72 of the SEBI ICDR Regulations 2009, approval of the shareholders of the Bank is required by way of a Special Resolution to issue and allot shares on preferential basis.
- n) Your directors recommend passing of the Special Resolution as set out in the Notice.
- o) None of the Directors of the Bank is concerned or interested in the resolution, except to the extent of their shareholding, if any in the Bank.

By order of the Board of Directors For **PUNJAB NATIONAL BANK**

Place: NEW DELHI Date: 28.09.2018 (P K Sharma) Chief Finance Officer

punjab national bank ...the name you can BANK upon !

प्रधान कार्यालय ः प्लाट संख्या. 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली, 110075 फार्म– ''बी'' प्रॉक्सी फार्म (शेयरधारक द्वारा भरा और हस्ताक्षर किया जाए)

रजिस्टयर्ड फोलियो नं० (मूर्त शेयरों के लिए)	
डीपीआईडी संo	
ग्राहक आईडी सं0	
शेयरों की संख्या	

मैं / हम	का / की / के निवासी				-पंजाब	नैशनल बैंक
के शेयरधारक होने के नाते एतदृद्वारा						के निवासी
श्री / श्रीमती		– को अथव	ा उनके	उपस्थित	न हो	सकने पर
————— के निवासी श्री/श्रीमती				—– मंगल	वार , :	30 अक्टूबर
2018 को प्रात: 10 00 बजे बैंक के शेयरधारकों की	। असाधारण आम बैतक मे	नें जो प्रधान ब	नार्यालय	: प्लाट सं	ख्या ४	सेक्टर 10

ट्रांश की प्रति 10.00 बज बज के रायरवारकों की असावारण आने बठक ने जी प्रधान कार्यालय - स्वाट संख्या. 4, संयटर 10, द्वारका, नई दिल्ली, 110075 में आयोजित होगी तथा उसके अधिस्थ—गित होने पर मेरी / हमारी ओर से मेरे / हमारे लिए मत देने के लिए प्रॉक्सी— नियुक्त करता हूं / करते हैं ।

> कृपया रसीदी टिकट चिपकाएं

एकल / प्रथम शेयरधारक के हस्ताक्षर

वर्ष 2018 के —————मास की ———— तारीख को हस्ताक्षरित

पंजाब नैशन्त बैंक

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर —————

punjab national bank

Head Office: Plot No. 4, Sector 10, Dwarka, New Delhi 110 075 FORM 'B'

FORM OF PROXY

(To be filled in and signed by the shareholder)

Regd. Folio No.	
(Ifnot Dematerialised)	
DPID - Client ID No.	
No of shares.	

रांजाब नैशनल बैंक

I/We,		resident/s o	f	in the district of
			being a sł	areholder/s of Punjab National Bank,
hereby appoint Shri/Smt.		resident	of	in the
district of	in th	e state of		or failing him/her,
Shri/Smt			resident of	
		the district of		in the state of
	as my/our	proxy to vote for me	/us and on my/o	ur behalf at the Extraordinary General

Meeting of the shareholders of the Bank to be held on TUESDAY, THE 30[™] OCTOBER, 2018 AT 10.00 A.M., at Multipurpose Hall of Punjab National Bank, Head Office, Plot No. 4, Sector 10, Dwarka, New Delhi 110 075 and at any adjournment thereof.

Revenue Stamp

Signed this day of 2018.

Signature of sole/first holder

प्रॉक्सी फॉर्म पर हस्ताक्षर करने एवं प्रस्तुत करने हेतु अनुदेश

- 1. कोई भी प्राक्सी दस्तावेज़ तब तक वैध नहीं होगा जब तकः
 - क. व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में उसके द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे या विधिवत् लिखित रुप में अधिकृत एटॉर्नी हस्ताक्षर करेगा ।
 - ख. संयुक्त धारकों के मामले में सदस्यों के रजिस्टर में प्रथम नाम के शेयरधारक द्वारा या उसके द्वारा लिखित रुप से अधिकृत एटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर किये जाएंगें ।
 - ग. निगमित निकाय के मामले में उसके अधिकारी द्वारा कॉमन सील, यदि हो, तो लगाकर इन्हें हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया जाएगा या अन्यथा लिखित रुप से विधिवत अधिकृत एटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर किये जायेगें ।
 - घ. फार्म बी में होंगे और विधिवत् रूप से स्टैम्प होंगे ।
- प्रॉक्सी दस्तावेज जिस पर शेयरधारक द्वारा अंगूठे का निशान लगाया गया है, तभी वैध माना जाएगा जब उसे किसी जज, मैजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार एसोरेंस द्वारा या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी द्वारा या पंजाब नैशनल बैंक के किसी अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया गया हो ।
- 3. प्रॉक्सी के साथ :
 - क. एटॉर्नी की शक्तियॉ या अन्य प्राधिकारी (यदि कोई है) जिसके तहत इसे हस्ताक्षर किया गया है या
 - ख. प्रॉक्सी फार्म के साथ नोटरी पब्लिक या एक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित उक्त मुख्तारनामे या प्राधिकार पत्र की हस्तााक्षरित प्रति को पंजाब नैशनल बैंक, शेयर विभाग, वित्त प्रभाग, प्रधान कार्यालय : प्लाट संख्या 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली, 110075 के पास असाधारण आम बैठक की तिथि से 4 दिन पहले गुरूवार , 25 अक्टूबर 2018 साय 5.00 बजे तक जमा करवा दिया जाए ।
- यदि संबंधित मुख्ताररनामा पंजाब नैशनल बैंक या इसके शेयर अंतरण एजेंट के साथ पहले से ही पंजीकृत है, तो मुख्ताारनामे की पंजीकरण संख्याा तथा ऐसे पंजीकरण की तिथि का उल्लेख किया जाए ।
- 5. बैंक के पास जमा प्रॉक्सी दस्तावेज अंतिम व अपरिवर्तनीय होगा ।
- 6. वैकल्पिक रूप में, दो ग्रांटरों के पक्ष में की गई एक दस्तावेज की प्रोक्सी के मामले में, एक से ज्यादा फार्म को निष्पादित नहीं किया जाए।
- 7. जिस शेयरधारक ने प्रॉक्सी का दस्तावेज निष्पादित किया हो वह बैठक में उस दस्तावेज से सम्बद्ध वोट देने का पात्र नहीं होगा।
- इस प्रकार नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा । ऐसे में प्रॉक्सी प्रदाता की ओर से उपस्थित हो सकेगा और वोट दे सकेगा।
- 9. पंजाब नैशनल बैंक के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को वैधानिक रूप से प्राधिकृत या प्रॉक्सीधारक नियुक्त नहीं किया जा सकता।

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

- 1. No instrument of proxy shall be valid unless,
 - a. in case of an individual shareholder, it is signed by him/her or by his/her attorney duly authorised in writing,
 - b. in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the Register of Shareholders or by his/her attorney duly authorised in writing,
 - c. in the case of a body corporate, it is signed by its officer and executed under its Common Seal, if any, or otherwise signed by its attorney duly authorised in writing.
 - d. shall be in the Form B and duly stamped.
- 2. An instrument of proxy, in which the thumb impression of the shareholder is affixed, will be valid provided it is attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or any other Government Gazetted Officer or an officer of Punjab National Bank.
- 3. The proxy together with:
 - a. the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or
 - b. a copy of that power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Punjab National Bank, Head Office, Finance Division, Share Department, Plot No. 4, Sector 10, Dwarka, New Delhi 110 075 not later than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting, i.e. on or before **closing hours i.e. 5.00 p.m. of Thursday, 25th October, 2018.**
- 4. In case the relevant power of attorney is already registered with Punjab National Bank or its Share Transfer Agent, the registration number of the power of attorney and the date of such registration may be mentioned.
- 5. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- 6. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- 7. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
- 8. The proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting but such proxy can attend & vote on behalf of the grantor.
- 9. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Punjab National Bank.

punjab national ban

प्रधान कार्यालय : प्लॉट संख्या–4, सेक्टर–10, द्वारका, नई दिल्ली, 110075 HEAD OFFICE: Plot No. 4, Sector 10, Dwarka, New Delhi 110075

पंजाब नैशनल बैंक

असाधारण आम बैठक, मंगलवार, 30 अक्टूबर, 2018, प्रात 10.00 : बजे EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING, TUESDAY, 30[™] OCTOBER 2018 AT 10.00 A.M

उपस्थिति पर्ची / ATTENDANCE SLIP

(उपस्थिति के पंजीकरण के समय सुपुर्द करने हेतु) (To be surrendered at the time of registration of attendance)

नाम स्पष्ट अक्षरों में (सदस्य / प्रॉक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि) NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/Authorised Representative)	पंजीकृत फोलियो/डीपीआईडी/ग्राहक आईडी संo REGD.FOLIO/DPID&CLIENT ID No.	Number of Shares
	। शेयरधारक/ प्रॉ	क्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

Signature of Shareholder/Proxy/Authorised Representative

पंजाब नैशनल बैंक 🌄 ისიეის

प्रधान कार्यालय ः प्लॉट संख्या—4, सेक्टर—10, द्वारका, नई दिल्ली, 110075 HEAD OFFICE: Plot No. 4, Sector 10, Dwarka, New Delhi 110075

असाधारण आम बैठक, मंगलवार, 30 अक्टूबर, 2018, प्रात 10.00 ः बजे EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING, TUESDAY, 30[™] OCTOBER 2018 AT 10.00 A.M

प्रवेश पास / ENTRY PASS

(बैठक के दौरान अपने पास रखना है)

(To be retained throughout the meeting)

नाम स्पष्ट अक्षरों में (सदस्य / प्रॉक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि) NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/Authorised Representative)	पंजीकृत फोलियो/डीपीआईडी/ग्राहक आईडी संo REGD.FOLIO/DPID&CLIENT ID No.	Number of Shares
	भोगल्यान्स/ गाँ	क्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

Signature of Shareholder/Proxy/Authorised Representative

बैठक हॉल में प्रवेश के लिए शेयरधारकों / प्रॉक्सीधारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे इस उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास को बैठक कक्ष में उपस्थिति के समय विधिवत् हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करें । प्रवेश पास वाला भाग शेयरधारकों / प्रॉक्सीधारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों को लौटा दिया जाएगा, जिसे उन्हें बैठक समाप्त होने तक अपने पास रखना चाहिए ।

Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives are requested to produce Attendance-slip-cum-Entry pass duly signed, for admission to the meeting hall. The Entry pass portion will be handed back to the shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. Under no circumstances, any duplicate Attendance slip-cum-Entry pass will be issued.